न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या–187 / 2026
पलासी थाना कांड संख्या– 70 / 2026

मो0 अरशद उर्फ अरशद.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

13-04-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक / अभियुक्त मो0 अरशद उर्फ अरशद की ओर से पलासी थाना संख्या– 70 / 2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109, 74, 303(2), 352, 351(2)&(3), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 16.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह मो0 शकीर आलम एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका मुन्नी बेगम के अनुसार यह है कि दिनांक 15.02.2026 को समय करीब 01 बजे दिन में मजदूर को लेकर अपनी जमीन में देडी पर्छ लगवा रही थी कि अचानक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण मजदूर को देडी पर्छ लगवाने से मना करने लगे और गाली–गलौज भी करने लगे। अभियुक्तगण सूचिका का बाल पकड़कर जमीन पर पटककर फाईट–मुक्का से मारपीट करने लगे। इसी क्रम में जान मारने की नियत से धारदार दबिया से मारकर माथा जख्मी कर दिया। बचाने आया उसका भाई दिलशाद से उसे अरशद ने तव्वल से मारकर माथा जख्मी कर दिया तथा उसका भाई दिलवर भी आया तो उसे भी फाईट–मुक्का एवं लाठी से मारपीट किया। मारपीट के क्रम में पहना हुआ समीज रिजवान ने बुरी नियत से चीड़फाड़ कर अर्द्धनग्न कर दिया तथा गले से चांदी का चेन मुस्ताक ने छीन लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र इस न्यायालय या फिर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक को भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्ष एक–दूसरे के विरूद्ध कई मामले दर्ज कराये हैं। आवेदक घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। आवेदक दिनांक 16.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर दिलशाद के सिर पर धारदार हथियार से मारने का आरोप है। जख्म प्रतिवेदन में sharp cut wound over parietal region 3"x1/2"x1/4" पाया गया है। दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद है, इसी कारण दोनों पक्षों में विवाद की एक श्रृंखला लंबित है, जिसमें आवेदक के विरूद्ध पांच आपराधिक इतिहास है। सभी मामले जमीनी विवाद से संबंधित है, किंतु आवेदक द्वारा वार को दोहराया नहीं गया है। जख्म की प्रकृति साधारण है। आवेदक दिनांक 16.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।